

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नोएडा

(दिनांक 27/09/2023 को सुबह 10:30 बजे आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएसईज़ेड प्राधिकरण 27.09.2023 को सुबह 10:30 बजे की अध्यक्षता में आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (एनएसईज़ेडए) की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक के दौरान नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्य/विशेष आमंत्रित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
2. श्री राकेश कुमार, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय, कानपुर (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े)।
3. श्री पुनीत कपूर, भागीदार, मैसर्स एपीके पहचान (दिल्ली) (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए)।

इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) श्री अमित कुमार गुप्ता, उपायुक्त (सीमा शुल्क), नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iii) श्री अजय कुमार मिश्रा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iv), श्री राजेंद्र मोहन कश्यप, सहायक विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (v) श्री अरुण सिंह परिहार, आशुलिपिक-II, और (vi) श्री नीलेश शाह, सलाहकार (सिविल इंजीनियर) भी प्राधिकरण की सहायता के लिए उपस्थित थे।

शुरुआत में, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया और सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय निम्नानुसार थे।

1. दिनांक 14/06/2023 को आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:

1.1 नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण को सूचित किया गया कि 14.06.2023 को आयोजित बैठक में लिए गए किसी भी निर्णय के खिलाफ कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था। तदनुसार, दिनांक 14.06.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन किया गया।

1.2 इसके अलावा, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ने एसईज़ेड प्राधिकरण नियम, 2009 के नियम 10 के उप-नियम 14 के संदर्भ में 14.06.2023 को हुई अपनी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की और प्राधिकरण बैठक दिनांक 14.06.2023 द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

2. नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के स्टाफ कार्टर्स हेतु पानी सॉफ्टनर के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। सर्वेक्षक ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्टाफ कार्टर और सेवा केंद्र भवन की छतों पर पानी की टंकियों के साथ-साथ छोटे पानी सॉफ्टनर संयंत्र की स्थापना के संबंध में नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के समक्ष एक प्रस्तुति दी। प्राधिकरण ने विचार-विमर्श के बाद निर्देश दिया कि छोटे जल सॉफ्टनर संयंत्रों की स्थापना का कार्य 5 वर्ष की एएमसी (AMC) सहित जीईएम (Gem) के माध्यम से किया जाएगा। प्राधिकरण ने निविदा दस्तावेजों में निम्नलिखित शर्तों को शामिल करने का भी निर्देश दिया: -

- i. सेवा प्रदाता हर 15 दिन में जल सॉफ्टनर संयंत्र के पानी का परीक्षण करेगा और रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

सुरेंद्र मलिक

- ii. सेवा प्रदाता मासिक आधार पर जल सॉफ्टनर संयंत्र को रिचार्ज करेगा।
- iii. सेवा प्रदाता पानी की कठोरता 50 से 100 मिलीग्राम/लीटर के बीच बनाए रखेगा।

3. प्लॉट नंबर जैसे-13 से 15 एवं जैसे-16 से 18, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र पर बने भवन की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया कि प्लॉट संख्या जैसी-13-15 और 16-18, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र पर निर्मित भवन, संयंत्र और मशीनरी/सामान का आरक्षित मूल्य नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा अपनी 26.10.2015 को आयोजित बैठक में इमारत को जल्द से जल्द ई-नीलामी में आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए तय किए गए घटकों के अनुसार तय किया जा सकता है।

4. नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में नीलामी द्वारा आवंटित भवन/दुकान आदि के सापेक्ष बिजली बकाया के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। उचित विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी:-

i. **प्लॉट:** - यदि सफल बोली लगाने वाले ने मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से आयोजित ई-नीलामी में भवन खरीदा है, तो पिछले आवंटी का बिजली बकाया ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से वसूल की गई भवन की मूल्यांकन लागत से समायोजित किया जाएगा।

ii. **दुकान:** - मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से आयोजित नीलामी में सफल बोली लगाने वाले को नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में सुविधा केंद्र में दुकान आवंटित की गई, बिजली बकाया, यदि कोई हो, आवंटन के समय पिछले आवंटी द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि से समायोजित की जाएगी।

प्राधिकरण ने इस मामले को यूपीपीसीएल के साथ उठाने का भी निर्देश दिया ताकि उन्हें अपनी प्रक्रिया के अनुसार डिफ़ॉल्ट इकाइयों के खिलाफ समय पर कार्रवाई करने की सलाह दी जा सके। उन्हें उस व्यक्ति/इकाई से बकाया वसूलने के लिए भी सूचित किया जाना चाहिए, जिसके नाम पर बिजली कनेक्शन दिया गया था।

5. नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के खाली स्टाफ क्वार्टर्स के वैकल्पिक आवंटन/उपयोग के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया कि 11 खाली टाइप- II स्टाफ क्वार्टर को आउटसोर्स किए गए वरिष्ठ अधिकारियों, कार्यकारी अधिकारियों, आईटी स्टाफ और अन्य आउटसोर्स कर्मियों को बिजली और पानी के शुल्क को छोड़कर 5000 रुपये प्रति माह के मासिक किराये के भुगतान पर आवंटित किया जा सकता है। आवंटन प्राथमिकताओं सहित अन्य नियम और शर्तों को संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की मंजूरी के साथ आवंटन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

6. औद्योगिक भूखण्ड संख्या 126 एवं 127, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नोएडा के आवंटी संस्था द्वारा कार्य योग्य एफ.ए . आर कार्य करने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण ने विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। आगे यह निर्देश दिया गया कि ईएम डिवीजन सभी इकाइयों से संबंधित भवनों के एफएआर का आंकड़े एकत्र करेगा।

सुरेन्द्र प्रालिङ्क

7. सलाहकार (सिविल इंजीनियर) की नियुक्ति की सूचना।

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। उचित विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने अनुबंध के नियमों और शर्तों में मामूली संशोधन के साथ सलाहकार (सिविल इंजीनियर) श्री नीलेश शाह की नियुक्ति पर ध्यान दिया।

8. नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में पार्किंग की समस्या के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद उन इकाइयों के शीष प्रबंधन को एक पत्र लिखने का निर्देश दिया, जिनके कर्मचारी ज़ोन के भीतर यातायात के सुचारू प्रवाह में व्यवधान पैदा करते हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले दो सप्ताह में स्थिति की समीक्षा की जा सकती है।

9. औद्योगिक जलपान गृह संख्या 02, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा के स्थान पर नए सुविधा केंद्र का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। व्यापार प्रतिनिधि श्री पुनीत कपूर, भागीदार, मेसर्स एपीके आइडेंटिफिकेशन (दिल्ली) ने सुझाव दिया कि उक्त स्थान के बेहतर उपयोग के लिए व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यकता का आकलन किया जा सकता है। प्राधिकरण ने विचार-विमर्श के बाद मामले को टाल दिया।

10. मैसर्स वैपकोस लिमिटेड द्वारा दी जा रही सेवाओं के प्रदर्शन की समीक्षा।

मैसर्स वैपकोस लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष रखी गई। प्राधिकरण ने एक-एक करके सेवाओं की समीक्षा की और प्रगति पर ध्यान दिया। यह भी निर्देशित किया गया था कि चल रही परियोजनाओं को पूरा करने की तारीख बढ़ाने के लिए फ़ाइल पर मैसर्स वैपकोस के अनुरोधों की जांच करें और मैसर्स वैपकोस द्वारा दिए गए औचित्य के आधार पर निर्णय लें।

11. नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा युवा पेशेवरों (young professionals) की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद व्यापार और अर्थशास्त्र, कानून और सोशल मीडिया प्रबंधन एवं विपणन के क्षेत्र में नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा 03 युवा पेशेवरों की नियुक्ति के लिए मसौदा दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, सीपीपी/जीईएम पोर्टल के साथ-साथ दो समाचार पत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित करने और इसे वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे।

12. नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक जलपान गृह संख्या 03 के भवन के पुर्णनिर्माण का प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। उपरोक्त निर्मित स्थान वर्तमान में एनडीआरएफ को आवंटित है। हाल ही में, एक संरचनात्मक परीक्षण विवरण में बताया गया था कि इस इमारत को बड़ी क्षति हुई है और इसे ध्वस्त करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, चर्चा में अभिलेख कक्ष, एक बड़े बहुउद्देश्यीय हॉल सहित कार्यालय स्थान की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका उपयोग सम्मेलनों, संगोष्ठी, इकाइयों द्वारा उत्पादों की प्रदर्शनियों, आउटरीच कार्यक्रमों आदि के लिए किया जा सकता है। इसलिए जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नया कार्यालय परिसर बनाने का निर्णय इन सभी जरूरतों के लिए लिया गया। यह भी महसूस किया गया कि नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयों, सेवा प्रदाताओं और मेहमानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक भोजनालय महत्वपूर्ण है। श्री नीलेश शाह, सिविल इंजीनियर सलाहकार ने नए भवन के निर्माण के लिए एक बनावट और आरेखण प्रस्तुत की। इसका केंद्र-बिंदु इसे आधुनिक, ऊर्जा कुशल और नवीनतम भवन दिशानिर्देशों के अनुरूप

सुरेंद्र भालिका

बनाना था। प्राधिकरण ने विचार-विमर्श के बाद श्री शाह की सहायता से निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश के साथ प्रस्तावित भवन के बनावट और अरेखण को मंजूरी दे दी। प्राधिकरण ने यह भी निर्देश दिया कि समानांतर में, बीएसएनएल के पूर्ववर्ती कार्टरों के नवीनीकरण के बाद एनडीआरएफ कर्मियों को स्थानांतरित करने के लिए उचित प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके बाद, संरचनात्मक परीक्षण विवरण के अनुपालन में, नए कार्यालय परिसर के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए मौजूदा संरचना को ध्वस्त किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

अ. विपिन मेनन

(ए. विपिन मेनन)

विकास आयुक्त